राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

केरोसीन की अधिकतम विक्रय दर 25.20 रूपये प्रति लीटर

जयपुर 22 जुलाई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में केरोसीन ब्लू डाईड की अधिकतम विक्रय दर समस्त खर्चों को सम्मिलित कर 25.20 रूपये प्रति .लीटर निर्धारित की गई है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार एक जुलाई, 2017 से जीएसटी प्रभावी हो जाने एंव केरोसीन की खुदरा दर में भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग द्वारा पाक्षिक 25 पैसे प्रति लीटर की वृद्वि के फलस्वरूप अब विक्रय दर 25 रूपये 20 पैसे प्रति लीटर हो गई है। शेष शर्तें विभागीय पूर्व अधिसूचना दिनांक 23.3.2017 के अनुसार यथावत रहेंगी। यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी।

—